यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पीएमजीएसवाई, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पीएमजीएसवाई, देहरादून** के माह 04/2018 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संदीप कुमार, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/07/2020 से 24/07/2020 तक श्री वी० पी० सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा मे माह 09/2016 से माह 03/2018 तक के लेखाभिलेखों का निरीक्षण किया गया था। इकाई की लेखापरीक्षा दिनांक 24/04/2018 से 27/04/2018 तक श्री एस०एस० राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा श्री आई० के० जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निष्पादन एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ तकनीकी विशिष्टियों पर परामर्श, परियोजना रिपोर्टो का मूल्यांकन, वित्तीय प्रबन्धन की व्यवस्था, निविदा प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण/तकनीकी निरीक्षण तथा अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

2. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	----	157.79	70.85	70.85	1330.94	878.52	610.21	0.00
2019-20	----	610.21	75.96	67.48	890.23	1210.78	298.14	0.00
2020-21 (06/2020 तक)	----	298.14	37.57	15.10	19.57	167.89	172.29	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**		**प्राप्त (₹ लाख)**	**व्यय अधिक्य(+) (₹ लाख)**	**बचत(-) ` (₹ लाख)**
2018-19	प्रोग्राम निधि	136.53	1130.13	719.08	547.58
2019-20	प्रोग्राम निधि	603.54	750.25	1101.30	252.49
2020-21 (06/2020 तक)	प्रोग्राम निधि	293.10	0.00	162.99	130.11

(ii) इकाई को बजट आवंटन केंद्रान्श के रूप मे भारत सरकार एवं राज्यान्श के रूप मे राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी "अ" के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

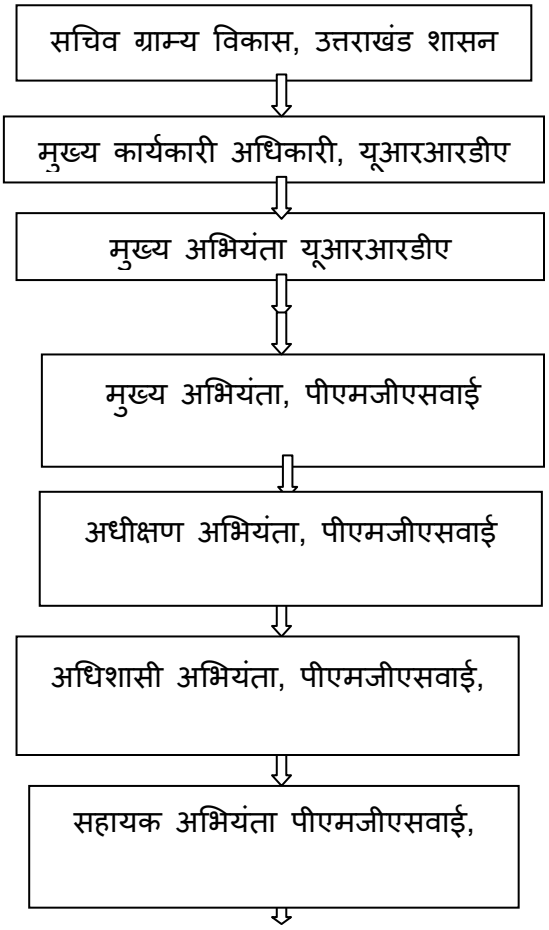

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **जनवरी** 2020 एवं मई 2020 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(iii) **लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।**

भाग दो 'अ'

प्रस्तरः 1 निरस्त मार्गो एवं ब्रिजों पर रू0 54.26 लाख का निरर्थक व्यय।

कार्यालय **मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देहरादून** के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित मार्ग उनके सम्मुख दिये गये कारणों से निरस्त किये गये है जबकि उपरोक्त मार्गो के सम्बन्ध में धनराशियां भी व्यय की गयी थी जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

Sl.no.	Name of work	Sanctioned cost (in lacs)	Length	Expenditure (Rs. in lacs)	Reason for dropping
1.	Chopra-Sarot Motor Road Km 92 to Kansi Motor Road L034, PIU Uttarkashi	53.97	1.89 Km	2.32	Constructed under State Sector
2.	Km 10.50 of L042 to Saradi Link Motor Road, L044, PIU Kalsi	279.58	5.317 Km	1.20	Constructed under State Sector
3.	Nelad to Kaula Motor Road, L036 PIU Srinagar-1	222.90	4.00 Km	2.85	Constructed under State Sector
4.	Gordhanpur to Mathana Motor Road, L033, PIU Dehradun	120.22	8.00 Km	2.89	Constructed under State Sector
5.	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km. 7.70 Dharamdhar to Majkhet Motor road, L035 PIU Kapkot	123.91	30 Mtr	25.00	Bridge not required as per site condition
6.	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km. 7.70 Dharamdhar to Majkhet Motor road, L035 PIU Kapkot	123.46	30 Mtr	20.00	Bridge not required as per site condition

उपरोक्त निरस्तीकरण के कारणों से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा निर्माण पूर्व समुचित सर्वेक्षण न किये जाने के कारण ऐसे मार्गो पर व्यय किया गया जिनपर राज्य योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा था एवं ऐसे ब्रिजों के निर्माण पर व्यय किया गया जिनपर निर्माण स्थल के अनुसार ब्रिजों की आवश्यक्ता ही नही थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि क्रम सं0 1 पर रू0 0.18 लाख क्रम सं0 2 पर 1.20 लाख क्रम सं0 3 पर 1.89 लाख एव ंक्रम संख्या 4 पर 2.89 लाख सम्बन्धित कार्यो के डी0पी0आर0 गठन हेतु व्यय किया गया। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्तावों

के स्वीकृत होने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है। इस अवधि में उपरोक्त मोटर मार्ग किसी अन्य विभाग द्वारा निर्माणाधीन होने पर कार्यो का निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उपरोक्त सेतुओं का कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार निरस्त किया गया। क्रम सं0 05 एवं 06 पर क्रमशः रू0 25.00 लाख एवं रू0 20.00 लाख Fabrication & Mobilzation Advance पर व्यय किया गया जिसकी राज्य मद से भी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि किसी एक सड़क का एक विभाग द्वारा स्वीकृत हेतु प्रस्तावित होने तथा दूसरे विभाग से उसी सड़क के निर्माणाधीन होने से स्पष्ट है कि निर्माण में इकाई का अन्य विभागों के साथ समन्वय का अभाव रहा, जिस कारण इकाई को निरस्त मार्गो के डी0पी0आर0 गठन पर रू0 6.16 लाख एवं निरस्त ब्रिजों के Fabrication & Mobilzation Advance पर रू0 45.00 लाख व्यय करना पड़ा। जिससे बचा जा सकता था।

अतः निरस्त मार्गो एवं ब्रिजों पर रू0 54.26 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 1: ***कार्य में देरी के लिए ठेकेदारों पर अनुवंध की शर्तों के अनुसार ` 8.72 करोड़ का अर्थदण्ड (liquidated damages) आरोपित/वसूल न किया जाना एवं ठेकेदारो से 01 प्रतिशत इन्शोरेंस की राशि ` 87.23 लाख की कटौती न किया जाना।***

उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत किए जा रहे मार्गों के निर्माण एवं उनके अनुरक्षण हेतु भी उत्तरदायी है। कार्यो के निष्पादन हेतु मुख्य अभियंता उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, देहरादून स्तर से अनुबंध गठित किए जा रहे थे।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा निर्देश 2015 के प्रस्तर 13.1(iii) के अनुसार पहाडी सडकों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलम्ब की दशा में ठेकेदार के विरुद्व अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसमे स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 44.1 के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो अनुबंध राशि का 1% प्रति सप्ताह,अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शस्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून स्तर से गठित अनुबन्धो की नमूना जांच (07/2020) मे पाया गया कि निम्न 10 कार्य जिनकी अनुबन्धित धनराशि ` 8728.09 लाख थी, कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्दर ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये गये। नियमानुसार उक्त कार्यों को समय से पूरा न करने के कारण देरी के लिए अनुबंध राशि का 1% प्रति सप्ताह, अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान अर्थात ` 872.89 लाख ठेकेदारों पर अधोरोपित/ वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि इकाई द्वारा ठेकेदारो पर कोई धनराशि अधिरोपित नही की गयी थी। न ही इस प्रकार की कोई कटौती की गयी। अतः इन पहलुओं को नजर अन्दाज कर कार्यालय द्वारा ठेकेदारों को ` 872.89 लाख का अदेय लाभ पहुॅचाया गया। जिसका विवरण तालिका-1 मे संलग्न् है।

आगे अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि अनुबन्ध मे संलग्न स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से ;पद्ध अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री संबद्ध अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के

नुकसान या क्षति एवं ;पपपद्ध अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए। किन्तु मुख्य अभियन्ता,उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून स्तर से गठित उक्त अनुबन्धो की जांच मे पाया गया कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 01 प्रतिशत की कटौती की गई। लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित 10 कार्यों ;प्रगतिरतद्ध की अनुबन्धित धनराशि ` 8728.09 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` 87.23 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण तालिका-II मे हैः–

प्रकरण को लेखापरीक्षा मे इंगित करने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य अभियन्ता,उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण स्तर पर अनुबंध गठित कर अनुबंध की प्रति एवं उससे संबन्धित बैंक गारंटी संबन्धित खंडो को प्रेषित कर दी जाती है। अनुबंध की प्रति खंडो को उपलब्ध करवाने के बाद एल०डी० लगाने एवं उसकी वसूली की समस्त कार्यवाही संबन्धित खंडो द्वारा ही की जाती है। उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योकि उक्त सभी अनुबंध मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण स्तर पर ही गठित किए गए थे। जिन पर एलडी एवं समयवृद्धि के खंडो द्वारा प्रेषित समस्त प्रकरणो पर अंतिम निर्णय मुख्य अभियंता को ही लेना होता है। तथा अभिलेखो का संधारण भी कार्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए। किन्तु इकाई द्वारा उक्त कार्यो मे न तो समयवृद्धि स्वीकृत किए जाने से संबन्धित और न ही एलडी अधिरोपित किए जाने के सम्बंध मे कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। अतः बिना समयवृद्धि के कार्य निष्पादन मे की गई देरी के लिए संबन्धित ठेकेदारो पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए था। साथ ही ठेकेदारो द्वारा नियमानुसार इन्शोरेंस न करने पर उनसे ` 87.23 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरणो में ` 8.72 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण/वसूली एवं उक्त प्रकरणो मे इन्शोरेंस की राशि ` 87.23 लाख की कटौती किया जाना लेखा परीक्षा में प्रतिक्षित रहेगा।

तालिका -I

क्र0 सं0	कार्यों के नाम	अनुबन्धित राशि (रु लाख मे)	अनुबन्ध के अनुसार			विलम्ब	एल0डी0 की राशि (अधिकतम रु लाख मे)
			प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि	कार्य की 06/2020 को स्थिति		
1.	Dyaun-dhuyri Rd to Bajaun	939.17	**14.04.2018**	**13.10.2019**	**अपूर्ण**	261 दिन	93.91
2.	Maniyachana to Bhanti	606.46	**14.04.2018**	**13.10.2019**	**अपूर्ण**	261 दिन	60.64
3.	Jawarwanin to Basgaon moter road	585.80	**18.04.2018**	**17.10.2019**	**अपूर्ण**	257 दिन	58.58
4.	Sipti to Aamkariya Stage-1	862.90	**10.05.2018**	**09.11.2019**	**अपूर्ण**	234 दिन	86.29
5	Chametha Bend to Daksun Stage-I&II	968.51	**01.07.2018**	**30.06.2019**	**अपूर्ण**	366 दिन	**96.85**
6	Kandaikhera to Baraswar Stage-I&II	1102.22	**01.07.2018**	**30.06.2019**	**अपूर्ण**	366 दिन	**110.22**
7	Raiagar to Daula Upreti Stage-I	487.42	**16.07.2018**	**15.04.2019**	**अपूर्ण**	442 दिन	**48.74**
8	Kimsar-Dharkot to Timilyyani Stage-I&II	784.56	**26.07.2018**	**25.07.2019**	**अपूर्ण**	340 दिन	**78.56**
9	Tatrik to Toli Talli Stage-I	1347.21	**26.07.2018**	**25.07.2019**	**अपूर्ण**	340 दिन	**134.72**
10	Shrikot to Mathkot & Ujjwalapur-Sem-Dharkot	1043.84	**20.10.2018**	**19.01.2020**	**अपूर्ण**	162 दिन	**104.38**
योगः–		**8728.09**					**872.89**

तालिका-II

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबन्धित राशि (₹ लाख	बीमा कटौती योग्य राशि (₹ लाख
1.	Dyaun-dhuyri Rd to Bajaun	11/UT-410/CE-URRDA/2018-19	939.17	9.39
2.	Maniyachana to Bhanti	12/UT-150/CE-URRDA/2018-19	606.46	6.06
3.	Jawarwanin to Basgaon moter road	18/UT-185/CE-URRDA/2018-19	585.80	5.85
4.	Sipti to Aamkariya Stage-1	24/UT-428/CE-URRDA/2018-19	862.90	8.62
5.	Chametha Bend to Daksun Stage-I&II	36/UT-822/CE-URRDA/2018-19	968.51	9.68
6.	Kandaikhera to Baraswar Stage-I&II	37/UT-842/CE-URRDA/2018-19	1102.22	11.02
7.	Raiagar to Daula Upreti Stage-I	40/UT-950/CE-URRDA/2018-19	487.42	4.87
8.	Kimsar-Dharkot to Timilyyani Stage-I&II	43/UT-871/CE-URRDA/2018-19	784.56	7.84
9.	Tatrik to Toli Talli Stage-I	45/UT-184/CE-URRDA/2018-19	1347.21	13.47
10.	Shrikot to Mathkot & Ujjwalapur-Sem-Dharkot	68/UT-360/CE-URRDA/2018-19	1043.84	10.43

योगः–		**8728.09**	**87.23**

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:2 - ***निविदा बिक्री से प्राप्त राशि ` 251.72 लाख का अवरुद्ध रहना।***

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय **11** के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर, बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाए तथा वित्तीय नियम यह भी प्राविधानित करता है कि राजस्व प्राप्तियों के रूप मे प्राप्त राशि को बिना वित्त की अनुमति के व्यय न किया जाए।

किन्तु कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून के अभिलेखो की नमूना जांच (07/2020) मे पाया गया कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 (06/2020 तक) मे निविदा बिक्री से संबन्धित धनराशि रु 251.97 लाख को निर्धारित लेखाशीर्ष/राजस्व मे जमा नही की गयी थी, जिसको बिल्डिंग एवं स्टेट फ़ंड से संबन्धित ICICI बैंक के खाते संख्या: 385901000510 एवं 385901000281 मे प्राप्त की जा रही थी, जोकि इकाई मे अवरूद पड़ी थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स.	**वित्त वर्ष**	**निविदा बिक्री के रूप मे प्राप्त धनराशि रु**	**राजस्व मे जमा धनराशि रु**	**अवशेष धनराशि**
1	2014-15	1,22,354.00	0.00	1,22,354.00
2	2015-16	6775.00	0.00	6775.00
3	2016-17	34,46,980.00	0.00	34,46,980.00
4	2017-18	53,05,455.00	0.00	53,05,455.00
5	2018-19	1,13,01966.00	0.00	1,13,01966.00
6	2019-20	46,19,264.00	0.00	46,19,264.00
7	2020-21 (06/2020 तक)	3,95,000.00	0.00	3,95,000.00
	Total	**2,51,97,794.00**	0.00	**2,51,97,794.00**

इस तथ्य को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियन्ता,उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि खंडो से निविदा बिक्री राशि के सम्बंध मे NRRDA द्वारा SRRDA को कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नही कराये गए गए है। इकाई का उत्तर स्वीकार नही है क्योकि इकाई द्वारा इस सम्बंध मे राज्य सरकार/ भारत सरकार से कोई भी पत्राचार नही किया गया था।न ही निविदा से प्राप्त राशि को निर्धारित लेखाशीर्ष/राजस्व मे जमा किया गया था। निविदा बिक्री से प्राप्त राशि को विगत 06 वर्षो से संबन्धित लेखाशीर्ष/राजस्व मे जमा न किया जाना एवं उक्त राशि से संबन्धित एक समय मे ही दो खातो का संधारण किया जाना, वित्तीय नियमो के प्रतिकूल है तथा वित्त विभाग के प्राधिकार के बिना राशि को बिल्डिंग फ़ंड से संबन्धित खातो मे parking किया जाना राशि को अवरुद्ध किए जाने के समान है।

अत: निविदा बिक्री से प्राप्त राशि ` **251.72** लाख अवरुद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 3 कई वर्षो से असमायोजित रू0 9.90 करोड़ Advance for DPR Preperation की धनराशि का समायोजन न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 48(1) के अनुसार साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाय। शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपयोगों में अपवाद अनुमन्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैंः–

(क) संचालन अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवान्स)

(ख) उपस्कर एवं मशीन हेतु अग्रिम तथा

(ग) निर्माण कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम।

(2) अग्रिम, अग्रिम धनराशि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जाऐंगे। अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारन्टी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जाय। यदि बैंक गारन्टी ली जाए तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैंक गारन्टी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जाँच की जाए।

वर्ष 2018–19 के PMGSY Programme Fund के Schedule of Current Assets की जांच में पाया गया कि उपरोक्त Schedule में वर्ष 2018–19 में रू0 11,57,85,624.80 का Advance for DPR Preperation दर्शाया जा रहा है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2019–20 के अनुसार उक्त धनराशि रू0 9,90,46,011 की है जो कि वर्ष 2010–11 से अग्रिम के रूप में दर्शायी जा रही है।वर्ष 2010–11में यह अग्रिम की धनराशि रू0 8,98,95,742.00 थी। डी0पी0आर0 गठन में हुये व्यय का समायोजन पी0आई0यू0 द्वारा निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने पर समायोजित किया जाता हैं। वर्तमान में लगभग 95 कार्य वनभूमि से बाधित होने के कारण कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ नही हो पाये है, कार्य प्रारम्भ होने पर अवशेष धनराशि का ओमास पर समायोजन किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकिवर्ष 2010–11 में Advance for DPR Preperation की धनराशि रू0 8.99 करोड़ थी जिसका समायोजन किया जाना चाहिये था एवं उपरोक्त Advance उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों के विपरीत था।

अतः कई वर्षो से असमायोजितरू0 9.90 करोड़ Advance for DPR Preperation की धनराशि का समायोजन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर:4 - अनियमित रूप से रु 1,96,38,787.86 ठेकेदार को अग्रिम दिये जाने का प्रकरण।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 48(1) के अनुसार साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाय। शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपयोगों में अपवाद अनुमन्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं :–

(क) संचालन अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवान्स) (ख) उपस्कर एवं मशीन हेतु अग्रिम तथा

(ग) निर्माण कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम। (2) अग्रिम, अग्रिम धनराशि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जाऐंगे। अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारन्टी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जाय। यदि बैंक गारन्टी ली जाए तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैंक गारन्टी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जाँच की जाए।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- कार्यालय द्वारा 'पी एम सी' को वाह्य स्रोत से स्टाफ उपलब्ध कराने से संबन्धित अनुबंध का गठन किया गया था इस अनुबंध मे ठेकेदार (पी एम सी) को अनुबंधित राशि का 10 प्रतिशत अग्रिम प्रदान करने हेतु एक विशेष शर्त को शामिल किया गया ओर ठेकेदार (पी एम सी) को अग्रिम के रूप मे माह 12/2018 को बिना किसी ब्याज का निर्धारण किए धनराशि रु 1,96,38,787.86 अग्रिम दिया गया था । इस अग्रिम की राशि की वसूली माह 1/2019 से 04/2020 तक के मध्य 16 किस्तों मे रु 1,73,88,529 वसूली की गई थी परंतु इस राशि पर कोई ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गयी थी। रु 1,96,38,787.86 राशि का अग्रिम उपरोक्त वित्तीय नियमो के विरुद्ध बिना ब्याज के वाह्य सेवा प्रदाता ठेकेदार को दिया गया था जबकि उपरोक्त नियमो एवम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों मे भी वाह्य सेवा प्रदाता ठेकेदार को अग्रिम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कोई साक्ष्य/ शासनादेश अग्रिम दिये जाने के पक्ष मे उपलब्ध नहीं कराया अत: अनियमित रूप से रु 1,96,38,787.86 ठेकेदार को अग्रिम दिये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 5 : रु0 59.59 लाख का व्यय अपात्र अधिकारियों को वाहन आवंटन पर किया जाना।

कार्यालय द्वारा अधिकारियों के प्रयोग हेतु बाह्य स्रोत से अधिप्राप्ति कर कुल 13 वाहनों का अनुबंध मैसर्स चावला टैक्सी सर्विस के साथ अनुबंध किया गया है। उत्तराखंड शासन के शासनादेश सं0- 169/IX-1/215/2011/2016, दिनांक- 10.03.2016 के प्रस्तर सं0- 5(क) एवं (ख) के अनुसार बाह्य स्रोत से वाहन की अधिप्राप्ति हेतु देहरादून जनपद के लिए परिवहन आयुक्त उत्तराखंड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बाह्य स्रोत से विभिन्न मॉडल के वाहनों के लिए सांकेतिक दरों का निर्धारण किया जाएगा एवं जनपद के विभागों द्वारा उक्त दरों के आधार पर ही वाहनों की बाह्य स्रोत से अधिप्राप्ति की जाएगी। URRDA कार्यालय द्वारा अनुबंध हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त शासनादेशानुसार प्राप्त सांकेतिक दरों पर वाहनों का अनुबंध गठित ना करके अपने स्तर पर सीधे समाचार पत्र के माध्यम से निविदायें आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुबंधित वाहनों की सूची के अनुसार URRDA द्वारा अनुबंधित वाहन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के साथ साथ विभाग से संबन्धित शासन में तैनात अपर सचिव एवं अनु सचिव को भी उपलब्ध कराये गए हैं। शासन में तैनात उक्त अधिकारियों को वाहन राज्य संपत्ति विभाग से नियमानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिशासी अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ मुख्य अभियंता एवं उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी ही वाहन आवंटन सुविधा हेतु पात्र हैं, परंतु URRDA कार्यालय में 02 सहायक अभियंताओं, 01 सहायक वन संरक्षक, 01 विशेष कार्याधिकारी एवं पी0एम0सी0 (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट)/ ठेकेदार को भी एक वाहन आवंटित किया गया है। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त सभी वाहनों पर स्तम्भ 5 में अंकित अवधि के दौरान किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	वाहन सं0	वाहन का प्रकार	वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी का पदनाम	अवधि	कुल व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6
01.	UK07 TB4325	इनोवा क्रिस्टा	अपर सचिव	जून 2019 - जून 2020	1061895.00
02.	UK07 TA3675	इण्डिगो	सहा0 अभियंता	दिसंबर 2018 - जून 2020	843301.00
03.	UK07 TB2485	होंडा अमेज	सहा0 अभियंता	दिसंबर 2018 - जून 2020 (मई/ जून 2019 को छोडकर)	662617.00
04.	UK07 TB0145	इण्डिगो	सहा0 वन संरक्षक	दिसंबर 2018- जून 2020	813770.00
05.	UK07 TB6840	डिजायर	विशेष कार्याधिकारी	जनवरी 2019 - जनवरी 2020	597642.00
06.	UK07 TA8551	इण्डिगो	अनु सचिव	दिसंबर 2018 - जून 2020	873167.00
07.	UK07 TA7447	इण्डिका	सहा0 अभियंता	दिसंबर 2018 - जून 2019	296506.00
08.	UK07 TB0179	इण्डिगो	पी0एम0सी0	दिसंबर 2018 - फरवरी 2020	659877.00
09.	UK07	इण्डिगो	पी0एम0सी0	मार्च 2020 - जून 2020	150078.00

	TB1035				
				कुल योग	5958853.00

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा श्री बी0 एस0 रावत, विशेष कार्याधिकारी एवं श्री शंकर राम, सहा0 वन संरक्षक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के कारण वाहन अनुमन्यता के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश- 84/XXVII(7)50(06)/2017, दिनांक-07.06.2017 के अनुसार उनके वेतन से प्रतिमाह रु0 2000/- की कटौती की जानी चाहिये। परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूआरआरडीए द्वारा उक्त कटौती नहीं की जा रही है। पारिणामतः उक्त दोनों अधिकारियों को प्रतिमाह रु0 2000/- का अधिक भुगतान करके अनुचित लाभ दिया जा रहा है। लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा उक्त वाहन मांग के आधार पर उपलब्ध कराये गए हैं एवं भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी। वाहन अनुमन्यता के सापेक्ष की जाने वाली रु0 2000/- की कटौती के संबंध में कटौती आगामी वेतन से कर लिए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। कार्यालय के उत्तर से स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी आपत्तियों को स्वीकार किया गया है। अतः रु0 59.59 लाख का व्यय अपात्र अधिकारियों को वाहन आवंटन पर किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1 - रु 2.45 करोड़ धनराशि अवरुद्ध रहने का प्रकरण।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - मुख्य अभियंता गड़वाल एव कुमायु को वर्ष 2018 -19 व 2019- 20 मे भूमि अधिग्रहण (प्रतिकर) के रूप मे कुल रु 39.47 करोड़ आवंटित किए गए थे उपलब्ध सूचना के अनुसार रु 37.02 करोड़ व्यय के रूप मे दर्शाये गए है एवं रु 2.45 करोड़ राशि अवशेष है इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि- मुख्य अभियंता गढ़वाल व कुमाऊँ को अवगत करा दिया गया है अभिलेख प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा अवशेष राशि के संबंध मे आगे यह भी बताया गया कि - गावों मे अधिकतर लोग बाहर सेवारत होने के कारण लोग उपलब्ध नहीं हो पाते है इस कारण राशि अवशेष रह जाती है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यदि राशि वित्तीय वर्ष के अंत मे अवशेष है तो शासन को समर्पित की जानी चाहिए थी। अत: रु 2.45 करोड़ धनराशि अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
56/2016-17	01	-
02/2018-19	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त कि अनुपालन आख्या सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति सहित यथाशीघ्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पीएमजीएसवाई, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(i) कोर्ट केस से संबन्धित अभिलेख।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
a.	श्री राजेश गोयल	मुख्य अभियंता
b.	श्री के०के० श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता
c.	श्री के०पी०उप्रेती	मुख्य अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पीएमजीएसवाई, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II